

15/9/22

पत्रावली पेश हुई। अधिकारी मध्य वारीगण  
अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। समय रात्र  
5 PM हो चुका है। अतः वारी मध्य अधिकारी  
अनुपस्थित रहने पर वारी का वाद अफम लाजरी/  
अफम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली  
मैसल शुमार लेकर वम्बर से कम है।

निर्णय सुनाया गया ॥

